



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257084
CG-DL-E-11092024-257084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3532]
No. 3532]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

का.आ. 3864(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये नियम 01 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	उद्योग	मानदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
55.	सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी)		
	क. अतर्गम गुणवत्ता मानक		प्रत्येक सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र के लिए, राज्य बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (समिति) सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र के

		डिजाइन, स्थानीय आवश्यकताओं तथा प्रास्थितियों के अनुसार साधारण मानदंडों, अमोनिकल नाइट्रोजन और भारी धातुओं के लिए अंतर्गम गुणवत्ता मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा।		
ख. उपचारित बहिःस्राव गुणवत्ता मानक		अधिकतम अनुज्ञेय मूल्य (मिलीग्राम/लीटर में- पीएच और तापमान के सिवाय)		
		अंतर्देशीय सतही जल में	सिंचाई हेतु भूमि पर	समुद्र में
	साधारण मानदंड	(i)	(ii)	(iii)
	पीएच	6-9	6-9	6-9
	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) ₃ , 27°C	30	100	100
	रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी)	250	250	250*
	कुल अलग किए गए ठोस (टीएसएस)	100	100	100
	कुल घुलित ठोस (टीडीएस)	2100**	2100**	एन एस
	विनिर्दिष्ट मानदंड	(i)	(ii)	(iii)
	तापमान °C	ग्रहणकर्ता जल निकाय के परिवेश तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा	ग्रहणकर्ता जल निकाय के परिवेश तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा	ग्रहणकर्ता जल निकाय के परिवेश तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा
	तेल और ग्रीस	10	10	10
	अमोनिकल नाइट्रोजन	50	एन एस	50
	कुल जेल्डाल नाइट्रोजन (TKN)	50	एन एस	50
	नाइट्रेट नाइट्रोजन	10	एन एस	50
	फॉस्फेट (P)	5	एन एस	एन एस
	क्लोराइड	1000	1000	एन एस
	सल्फेट्स (SO ₄)	1000	1000	एन एस
	फ्लोराइड	2	2	15
	सल्फाइड (S)	2	2	5
	फिनोलिक यौगिक C ₆ H ₅ OH के रूप में	1	1	5
	कुल अवशिष्ट क्लोरीन	1	1	1
	जस्ता	5	15	15
	लोहा	3	3	3

	ताँबा	3	3	3
	कुल क्रोमियम	2	2	2
	मैंगनीज	2	एनएस	2
	निकल	3	एनएस	3
	आर्सेनिक	0.2	एनएस	0.2
	साइनाइड (सीएन)	0.2	एनएस	0.2
	वैनेडियम	0.2	एनएस	0.2
	लेड	0.1	एनएस	0.1
	हेक्सावैलेंट क्रोमियम	0.1	एनएस	0.1
	सेलेनियम	0.05	एनएस	0.05
	कैडमियम	0.05	एनएस	0.05
	पारा	0.01	एनएस	0.01
	जैव-जांच परीक्षण	उद्योग-विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार	उद्योग-विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार	उद्योग-विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार

टिप्पण 1.—

एनएस-विनिर्दिष्ट नहीं

टिप्पण 2.— * समुद्र में उपचारित बहिःस्राव का निस्सरण उचित समुद्री निकास माध्यम से किया जाएगा। विद्यमान तटीय निस्सरण को समुद्री निकास में डाला जाएगा। उन मामलों में जहां समुद्री निकास निस्सरण बिंदु पर न्यूनतम प्रारंभिक विलयन 150 गुना है और निस्सरण बिंदु से 100 मीटर दूर बिंदु पर न्यूनतम विलयन 1500 गुना है, तब राज्य बोर्ड रासायनिक ऑक्सीजन मांग की सीमा शिथिल कर सकता है :

परंतु कि उपचारित बहिःस्राव अपशिष्ट में रासायनिक ऑक्सीजन मांग अधिकतम अनुज्ञेय मूल्य 500 मिलीग्राम प्रति लीटर होगा।

**सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र से उपचारित बहिःस्राव के संबंध में अनुज्ञेय कुल घुलित ठोस अव्यवों की अधिकतम सीमा 2100 मिलीग्राम प्रति लीटर होगी। तथापि, यदि सदस्य उद्योगों को दिए जाने वाले जल में कुल घुलित ठोस अव्यव 1100 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है और अधिकतम 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक की घुलशीलता की अनुज्ञात है, तो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा इस सीमा को शिथिल किया जा सकता है परंतु कि सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्र से उपचारित बहिःस्राव में अधिकतम मान 3100 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक न हो, जैसा कि नीचे दिया गया है:—

क्र.सं.	अंतर्गम जल में कुल घुलित ठोस अव्यव (टीडीएस) मिलीग्राम प्रति लीटर	उपचारित बहिःस्राव में कुल घुलित ठोस अव्यव (टीडीएस) की अधिकतम सीमा मिलीग्राम प्रति लीटर
(1)	(2)	(3)
1.	आहरण जल में टीडीएस 1100 तक अर्थात् टीडीएस \leq 1100	2100
2.	आहरण जल में टीडीएस 1100 से 2100 से अधिक अर्थात् $1100 < \text{टीडीएस} \leq 2100$	आहरण जल में टीडीएस प्लस 1000
3.	आहरण जल में टीडीएस 2100 से अधिक अर्थात् टीडीएस > 2100	3100

टिप्पण 3.-

1. सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिष्काव के निस्सरण मामले में, सामान्य बहिष्काव उपचार संयंत्र प्रबंधन द्वारा मृदा और भूजल की गुणवत्ता पर इसके समाघात की मानीटरी वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और मानसून के पश्चात्) की जाएगी। सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिष्काव और मलजल के संयुक्त निस्सरण के लिए, मलजल के साथ मिश्रण का अनुपात राज्य बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा।

2. कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट मानदंड जो क्षेत्र विनिर्दिष्ट मानकों से चुने गए, निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	क्षेत्र	विनिर्दिष्ट मानदंड
(1)	(2)	(3)
1.	वस्त्र	जैव-परख परीक्षण, टोटल क्रोमियम, सल्फाइड, फेनोलिक यौगिक
2.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	तेल और ग्रीस, अमोनिया नाइट्रोजन, निकल, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, टोटल क्रोमियम, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा, कैडमियम, साइनाइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, फॉस्फेट, सल्फेट
3.	चमड़ा उद्योग	सल्फाइड, टोटल क्रोमियम, तेल और ग्रीस, क्लोराइड
4.	डाई एंड डाई इंटरमीडिएट	तेल और ग्रीस, फेनोलिक यौगिक, कैडमियम, तांबा, मैंगनीज, सीसा, पारा, निकल, जस्ता, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, टोटल क्रोमियम, जैव-परख परीक्षण, क्लोराइड, सल्फेट
5.	कार्बनिक रसायन विनिर्माण	तेल और ग्रीस, जैव-परख परीक्षण, नाइट्रेट्स, आर्सेनिक, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, टोटल क्रोमियम, सीसा, साइनाइड, जस्ता, पारा, तांबा, निकल, फेनोलिक यौगिक, सल्फाइड
6.	फार्मास्युटिकल	तेल और ग्रीस, जैव-परख परीक्षण, पारा, आर्सेनिक, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, सीसा, साइनाइड, फेनोलिक यौगिक, सल्फाइड, फॉस्फेट

टिप्पण 4.-

1. राज्य सरकारों या राज्य बोर्ड या समिति की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व.-

- राज्य सरकार या उसके अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि बहिष्काव के उचित संवहन के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम संवहनों को जोड़ने की प्रणाली या चैनल पर्याप्त रूप से मौजूद हों।
- राज्य बोर्ड और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सदस्य उद्योग के पास सीईटीपी इनलेट तक पहुंचने वाली संवहन प्रणाली के लिए एकल निस्सरण निर्गम बिंदु हो।
- राज्य बोर्ड या समिति सीईटीपी प्रचालन अभिकरण के परामर्श से, प्रत्येक सदस्य उद्योग से सीईटीपी में बहिष्काव के निस्सरण के लिए विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों के लिए सीईटीपी की डिजाइन विशेषताओं या क्षमता पर आधारित मानक अधिकथित करेगी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- राज्य बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि सीईटीपी के प्रचालन कार्मिक और कर्मचारीवृंद सदस्य इकाइयों से सहबद्ध न हों, तथा उन्हें सीईटीपी परिचालन का तकनीकी ज्ञान हो, ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके।
- राज्य बोर्ड या समिति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सभी सीईटीपी और सहबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों के यादृच्छिक प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा 'रियल टाइम ऑनलाइन' मॉनीटरी करेगी, अर्थात: -
 - सीईटीपी के अंतर्गम गुणवत्ता मानदंडों के अनुपालन की जांच करना;
 - सीईटीपी के लिए अधिसूचित निस्सरण मानकों के अनुपालन की जांच करना, या बोर्ड या समिति द्वारा अधिकथित किसी भी अधिक कठोर मानक या शून्य तरल निस्सरण (जेडएलडी) की प्रास्थिति की जांच करना;
 - सीईटीपी में ऑनलाइन सतत बहिष्काव गुणवत्ता मानीटरी प्रणाली के रखरखाव और अंश उपचार प्रास्थिति की जांच करना;

- (घ) सदस्य उद्योगों या सीईटीपी या औद्योगिक क्षेत्र से अनुपचारित औद्योगिक बहिष्कार के किसी भी बाईपास की घटना की जांच करना।
6. राज्य बोर्ड या समिति सभी सीईटीपी की कार्य निष्पादन प्रास्थिति को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर कम से कम तिमाही आधार पर अपलोड करेगी। कार्य निष्पादन प्रास्थिति में डिजाइन और परिचालन क्षमता, उपचार स्कीम, सहमति और प्राधिकरण की विधिमान्यता अवधि, मानीटरी मूल्य और अंतर्गम और निर्गम गुणवत्ता मानदंडों की अनुपालन प्रास्थिति और उसके अनुसार की गई कार्रवाई शामिल हो सकती है।
7. राज्य बोर्ड या समिति उन नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा/देगी जो सीईटीपी में शामिल होने का या विद्यमान सदस्य उद्योगों का विस्तार करने का विचार रखती हैं, यदि वे विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं या जहां ऐसे सीईटीपी में पर्याप्त हाइड्रोलिक क्षमता नहीं है, उन मामलों के सिवाय जो सीईटीपी के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे, -
- (क) प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं होने के परिणामस्वरूप ऐसे उद्योग जो कोई बहिष्कार उत्पन्न नहीं करते हैं, 100% बहिष्कार पुनर्चक्रण इकाइयाँ, केवल सांद्रित धाराओं को उत्पन्न करने वाले उद्योग जिन्हें राज्य बोर्ड या समिति द्वारा अधिकृत किसी भी सामान्य केन्द्र में समुचित प्रणालियों के माध्यम से निपटाया जाता है, स्थापना की सहमति, संचालन की सहमति और प्राधिकरण के अनुसार, इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केंद्रीय बोर्ड) के मार्ग दर्शक सिद्धांतों का पालन करना।
- (ख) सीईटीपी की हाइड्रोलिक क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है, तथा नए उद्योगों के बहिष्कार या विद्यमान सदस्य उद्योगों के विस्तारण से सीईटीपी के प्रभावी उपयोग में मदद होगी।
- (ग) सदस्य औद्योगिक इकाई अपना बहिष्कार किसी सीईटीपी में निस्सरण नहीं करती है, तो उस दशा में वैयक्तिक उद्योग के पर्यावरण मानक उक्त इकाई पर लागू होंगे।
8. (क) उल्लंघन या गैर-अनुपालन की दशा में, बोर्ड या समिति चूककर्ता इकाइयों या सीईटीपी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने/बंद करने के निदेश देने आदि जैसी उपयुक्त कार्रवाई करेगा/करेगी।
- (ख) राज्य बोर्ड या समिति द्वारा चूककर्ता सदस्य इकाई को कोई नोटिस जारी करने की दशा में इसकी सूचना सीईटीपी संचालन एजेंसी को भी दी जाएगी।
9. राज्य सरकार और उसके अभिकरण सीईटीपी और प्राथमिक बहिष्कार उपचार संयंत्रों (पीईटीपी) से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्टों के निपटान के लिए सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।
10. राज्य बोर्ड या समिति, समय-समय पर यथासंशोधित जोखिमपूर्ण और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन और सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अधीन राज्य बोर्ड या समिति द्वारा जारी प्राधिकार में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान के लिए सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं के साथ सीईटीपी और सदस्य उद्योगों का सहयोग सुनिश्चित करेगी।
11. सीईटीपी में उपचार के समुचित स्तर पर बहिष्कार के साथ समुचित मात्रा में मलजल के मिश्रण की अनुमति बोर्ड या समिति द्वारा दी जा सकती है, यदि इससे जैविक उपचार प्रक्रिया में उपचार क्षमता में सुधार होता है, परंतु कि सीईटीपी के डिजाइन में सीईटीपी में उपचारित किए जाने वाले प्रस्तावित मलजल के हाइड्रोलिक तथा कार्बनिक भार को ध्यान में रखा गया हो।
2. सीईटीपी प्रचालन अभिकरणों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व.-
1. सीईटीपी को वृत्तिक रूप से प्रबंधित करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी) या सोसायटी (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) या न्यास (एक समुचित कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत) होगा, जो सीईटीपी के संपूर्ण परिचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।
2. (क) सीईटीपी परिचालन अभिकरण सदस्य इकाइयों के बीच कुल उपलब्ध उपचार क्षमता को तर्कसंगत और पारदर्शी रीति में वितरित करेंगी।
- (ख) सीईटीपी और इसकी सदस्य इकाइयों के बीच एक विधिक करार किया जाएगा, जिसमें उनके पारस्परिक बाध्यताओं, सदस्यता की शर्तों, सदस्यता शुल्क, संस्थापन और उपचार प्रभार के लिए विकसित लागत वसूली सूत्र सीईटीपी के प्रचालन और रखरखाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

3. सीईटीपी प्रचालन अभिकरणों को विहित अंतर्गम और निर्गम बहिस्त्राव मानकों का अनुपालन करना होगा। स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से मानीटरी और अनुपालन को मजबूत करने के लिए सीईटीपी में ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव मानीटरी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित की जाएगी और केंद्रीय बोर्ड और संबंधित बोर्ड या समिति को डेटा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।
4. (क) सीईटीपी प्रचालन अभिकरण सदस्य इकाइयों द्वारा पाइपलाइनों या सीवरों के माध्यम से, अलग-अलग या समूह में निस्सरण किए जा रहे बहिस्त्राव की मात्रा और गुणवत्ता की मानीटरी के लिए एक स्वचालित ऑनलाइन तंत्र विकसित करेंगे (एससीएडीए-पीएलसी और ऑटो सैंपलर या सेंसर स्थापित करके)।
(ख) मानीटरी किए गए डेटा की कनेक्टिविटी राज्य बोर्ड या समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।
(ग) बाईपास या अप्राधिकृत निस्सरण की जांच के लिए समुचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।
5. टैंकरों के माध्यम से बहिस्त्राव के परिवहन के मामले में सीईटीपी प्रचालन अभिकरण,—
(क) सीईटीपी, सदस्य उद्योगों और टैंकरों के बीच एक एकीकृत संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से त्रिपक्षीय इंटरफेस सुनिश्चित करेंगी, जो सीईटीपी तक बहिस्त्राव के संग्रह और परिवहन के लिए टैंकरों के साथ संभारतंत्र प्रणाली के साथ संयुक्त हो;
(ख) यह सुनिश्चित करेंगी कि टैंकरों में जीपीएस प्रणाली लगाई गई है तथा टैंकरों की वास्तविक समय पर मानीटरी की जाती है; तथा
(ग) सीईटीपी पर टैंकर प्राप्त होने पर बहिस्त्राव का नमूनाकरण और गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करेंगी।
6. (क) सीईटीपी प्रचालन अभिकरणों को यह प्राधिकार होगा कि वे बहिस्त्राव के नमूनों को लेने के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के सदस्य उद्योग परिसर में प्रवेश कर सकते हैं।
(ख) सीईटीपी परिचालन अभिकरण मानीटरी किए गए मूल्यों का ऑनलाइन डाटा के साथ प्रति-सत्यापन के लिए ओसीईएमएस प्रणाली यदि स्थापित की गयी हो, की सहायता ले सकते हैं।
7. (क) सीईटीपी प्रचालन अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि सदस्य उद्योग अपने व्यक्तिगत पीईटीपी के निर्गम सन्नियमों के अनुरूप ही अपने व्यापारिक बहिस्त्राव का निस्सरण करें। सदस्य उद्योगों के द्वारा इन सन्नियमों को पूरा ना किये जाने और/ या प्रचालन और रख-रखाव पर आने वाले खर्च को विनिर्दिष्ट या सहमति प्राप्त समय सीमा के भीतर अपने हिस्से का संदाय न करने की स्थिति में, सीईटीपी प्रचालन अभिकरण समुचित कार्रवाई, जैसे कि चूककर्ता सदस्य का बहिस्त्राव लेने से इनकार करना, सीईटीपी के साथ व्यक्तिगत इकाई की सदस्यता रद्द करना, कर सकेंगी।
(ख) सीईटीपी परिचालन अभिकरण सदस्य उद्योग से प्रवाह को विनियमित करने के लिए नियंत्रण तंत्र विकसित करेगी।
(ग) ऐसी गैर-अनुपालन सदस्य औद्योगिक इकाइयों की सूची और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई, आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए, ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड या समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।
8. (क) सीईटीपी प्रचालन अभिकरण प्राधिकरण में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कीचड़ की विशेषताओं (अर्थात् परिसंकटमय या गैर-परिसंकटमय) के आधार पर कीचड़ प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी।
(ख) इस सुविधा से उत्पन्न परिसंकटमय बहिस्त्राव के निपटान के लिए उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) के बीच पर्याप्त लिंकेज सुनिश्चित किया जाएगा।
9. (क) सीईटीपी प्रचालन अभिकरण भौतिक और जलजलीय प्रास्थिति के लिए 'अपस्ट्रीम' और 'डाउनस्ट्रीम' प्रवाह लिंकेज की भी मानीटरी करेंगे।
(ख) किसी भी अप्रयोज्यता मामले में, इसका समाधान किया जाएगा और राज्य अभिकरणों को सूचित किया जाएगा।
10. सीईटीपी प्रचालन अभिकरण कम से कम प्रमुख मानदंडों अर्थात् पीएच, बीओडी, सीओडी, टीएसएस और राज्य बोर्ड या समिति द्वारा अपेक्षित किसी अन्य मानदंड के लिए स्थल पर ही प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित करेंगे।
11. बिजली के चले जाने के दौरान भी सीईटीपी के निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीईटीपी में पर्याप्त क्षमता की वैकल्पिक पावर बैकअप व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
12. सीईटीपी प्रचालन अभिकरणों पर वर्ष में कम से कम एक बार धारा मानकों में विहित सभी मानदंडों को कवर करते हुए अपने क्षेत्रों के साथ प्राप्त जल और भूजल की नियमित सतही और भूजल गुणवत्ता मानीटरी करने की जिम्मेदारी होगी। ऐसी विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रूप से की जा रही पर्यावरणीय लेखा परीक्षा का भाग होगी।

3. सीईटीपी के सदस्य उद्योगों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व -
1. सदस्य उद्योग राज्य बोर्ड या समिति द्वारा जारी सहमति में उल्लिखित प्रत्येक पीईटीपी के निर्गम सन्नियमों को पूरा करते हुए अपने व्यापार बहिस्त्राव का निस्सरण करेंगे।
 2. (क) सदस्य उद्योग, बहिस्त्राव के विनिर्दिष्ट गुणवत्ता संबंधी मानदंडों और उसकी प्रवाह दर की मानीटरी करेंगे और सीईटीपी के प्रचालक को रीयल-टाइम ऑनलाइन आधार पर मानीटरी संबंधी डेटा प्रस्तुत करेंगे।
(ख) सीईटीपी में निस्सरित किए जाने वाले पूर्व-उपचारित बहिस्त्राव की गुणवत्ता और मात्रा, राज्य बोर्ड या समिति द्वारा यथा उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगी।
 3. सदस्य उद्योग में सीईटीपी तक पहुंचाने वाली संवहन प्रणाली में एकल निस्सरण बिंदु होगा।
 4. सदस्य उद्योग, प्रचालन और रखरखाव संबंधी लागतों को पूरा करने के लिए सीईटीपी के प्रचालन अभिकरण को ऑनलाइन मोड के माध्यम से समय पर अपने हिस्से का संदाय करेंगे।
 5. सदस्य उद्योग, कच्चे माल या संसाधनों की बर्बादी और प्रदूषण को रोकने के लिए लीकिंग वाल्व, पाइपों में दरारों और छिद्रों और खराब उपकरणों की जांच करके उचित रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।
 6. सदस्य उद्योग, प्राधिकार में उल्लिखित शर्तों के अनुसार विभिन्न इकाई प्रचालनों और प्राथमिक उपचार से उत्सर्जित होने वाले परिसंकटमय बहिस्त्राव के पृथक्करण, भंडारण और निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।

[फा. सं. क्यू-15017/18/2014-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण.—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें गत संशोधन सा.का.नि. 75(अ), तारीख 30 जनवरी, 2024 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2024

S.O. 3864(E).—In exercise of the powers conferred under sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the 1st day of September, 2025.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, for serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“

Serial Number	Industry	Parameter	Standards		
(1)	(2)	(3)	(4)		
“55.	Common Effluent Treatment Plants (CETP)				
	A. Inlet Quality Standards		For each Common Effluent Treatment Plant, the State Board or Pollution Control Committee (the Committee) will specify Inlet Quality Standards for general parameters, ammonical nitrogen and heavy metals as per design, local needs, and conditions of the Common Effluent Treatment Plant.		
	B. Treated Effluent Quality Standards		Maximum permissible values (in milligram/litre except for pH and Temperature)		
			Into inland surface water	On land for irrigation	Into sea

General Parameters	(i)	(ii)	(iii)
pH	6-9	6-9	6-9
Biochemical Oxygen Demand (BOD) ₃ , 27 °C	30	100	100
Chemical Oxygen Demand (COD)	250	250	250*
Total Suspended Solids (TSS)	100	100	100
Total Dissolved Solids (TDS)	2100**	2100**	NS
Specific parameters	(i)	(ii)	(iii)
Temperature °C	shall not exceed more than 5°C above ambient temperature of the receiving water body	shall not exceed more than 5°C above ambient temperature of the receiving water body	shall not exceed more than 5°C above ambient temperature of the receiving water body
Oil and Grease	10	10	10
Ammonical Nitrogen	50	NS	50
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	50	NS	50
Nitrate Nitrogen	10	NS	50
Phosphates (P)	5	NS	NS
Chlorides	1000	1000	NS
Sulphates (SO ₄)	1000	1000	NS
Flouride	2	2	15
Sulphides (S)	2	2	5
Phenolic compounds as C ₆ H ₅ OH	1	1	5
Total Residual Chlorine	1	1	1
Zinc	5	15	15
Iron	3	3	3
Copper	3	3	3
Total Chromium	2	2	2
Manganese	2	NS	2
Nickel	3	NS	3
Arsenic	0.2	NS	0.2
Cyanide (CN)	0.2	NS	0.2
Vanadium	0.2	NS	0.2
Lead	0.1	NS	0.1
Hexavalent Chromium	0.1	NS	0.1
Selenium	0.05	NS	0.05
Cadmium	0.05	NS	0.05

	Mercury	0.01	NS	0.01
	Bio-assay test	As per industry-specific standards	As per industry-specific standards	As per industry-specific standards

Note 1.—

NS-Not specified

Note 2.—* Discharge of treated effluent into sea shall be through proper marine outfall. The existing shore discharges shall be converted to marine outfalls. In cases where the marine outfall provides a minimum initial dilution of 150 times at the point of discharge and a minimum dilution of 1500 times at a point 100 m away from discharge point, then, the State Board may relax the Chemical Oxygen Demand limit:

Provided that the maximum permissible value for Chemical Oxygen Demand in treated effluent shall be 500 milligram per liter.

** The maximum permissible Total Dissolved Solids limit with respect to treated effluent from a common effluent treatment plant shall be 2100 milligrams per liter. However, the limit may be relaxed by the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, in case where total dissolved solids in intake water to the member industries is above 1100 milligrams per liter and a maximum contribution up to 1000 milligrams per liter is permitted, provided the maximum value of 3100 milligrams per liter is not exceeded in the treated effluent from common effluent treatment plant, as under:—

Serial number	Total Dissolved Solids (TDS) in intake water milligrams per liter	Maximum limit of Total Dissolved Solids TDS in treated effluent milligrams per liter
(1)	(2)	(3)
1.	TDS in intake water upto 1100 a. e. TDS \leq 1100	2100
2.	TDS in intake water more than 1100 to 2100 i.e. $1100 < \text{TDS} \leq 2100$	TDS in intake water plus 1000
3.	TDS in intake water more than 2100 i.e. TDS $>$ 2100	3100

Note 3.—

1. In case of discharge of treated effluent on land for irrigation, the impact on soil and groundwater quality shall be monitored twice a year (pre-monsoon and post-monsoon) by common effluent treatment plants management. For combined discharge of treated effluent and sewage on land for irrigation, the mixing ratio with sewage shall be prescribed by the State Board.

2. Specific parameters for some important sectors, which are selected from the sector-specific standards are given as under:

Serial number	Sector	Specific Parameters
(1)	(2)	(3)
1.	Textile	Bio-assay test, Total chromium, Sulphide, Phenolic compounds
2.	Electroplating	Oil and grease, Ammonia Nitrogen, Nickel, Hexavalent chromium, Total chromium, Copper, Zinc, Lead, Iron, Cadmium, Cyanide, Fluorides, Sulphides, Phosphates, Sulphates
3.	Tannery	Sulphides, Total chromium, Oil and grease, Chlorides
4.	Dye and dye intermediate	Oil and grease, Phenolic compounds, Cadmium, Copper, Manganese, Lead, Mercury, Nickel, Zinc, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Bio-assay test, Chlorides, Sulphates
5.	Organic chemicals	Oil and grease, Bio-assay test, Nitrates, Arsenic, Hexavalent chromium, Total chromium, Lead, Cyanide, Zinc, Mercury,

	manufacturing	Copper, Nickel, Phenolic compounds, Sulphides
6.	Pharmaceutical	Oil and grease, Bio-assay test, Mercury, Arsenic, Hexavalent chromium, Lead, Cyanide, Phenolic compounds, Sulphides, Phosphates

Note 4.—

1. Roles and responsibilities of State Governments or the State Board or the Committee.—
2. The State Government or its agencies shall ensure that adequate upstream and downstream conveyance linkages or channels are in place for proper carriage of effluent.
3. The State Board and the Committee shall ensure that a member industry has single discharge outlet point to conveyance system leading to the CETP inlet.
4. The State Board or the Committee shall lay down the standards for specific quality parameters, in consultation with the CETP operating agency, for discharge of effluent from each member industry to CETP, based on design features or capacity of CETP and ensure compliance of the same.
5. The State Board or the Committee may ensure that the CETP operating personnel and staff are not associated with member units, and having technical knowledge of CETP operations, so as to avoid the conflict of interest.
6. The State Board or the Committee shall carry out real-time online monitoring with random physical inspection of all CETPs and the associated industrial areas with the following objectives, namely:—
 - (a) to check compliance of inlet quality parameters of the CETP;
 - (b) to check compliance of the notified discharge standards for CETPs, or if any more stringent standards or Zero Liquid Discharge (ZLD) condition laid down by the Board or Committee;
 - (c) to check maintenance and calibration status of the online continuous effluent quality monitoring system in the CETP;
 - (d) to check occurrence of any bypass of untreated industrial effluents from member industries or CETP or industrial area.
6. The State Board or the Committee shall upload the performance status of all CETPs on their respective websites, at least quarterly. The performance status may include, design and operational capacity, treatment scheme, validity period of consents and authorisation, monitored values and compliance status of inlet and outlet quality parameters and action taken thereof.
7. The State Board or the Committee shall not permit establishment of new industrial units that propose to join a CETP or expansion of existing member industries, if they are not complying with the specified standards or where such CETP does not have adequate hydraulic capacity, except for the cases which do not impact performance of the CETP, such as,—
 - (a) not resulting in increase in pollution load such as industries generating no effluent, 100% effluent recycling units, industries generating only concentrated streams disposed through appropriate systems at any common facility authorised by the State Board or the Committee, as per consent to establish, consent to operate and authorisation, to the extant following Central Pollution Control Board (Central Board) guidelines, in this regard.
 - (b) CETP has unutilised hydraulic capacity, and the effluent of new industry or expansion of existing member industries will help in effective utilization of the CETP.
 - (c) in case, a member industrial unit does not discharge its effluent to a CETP, the environmental standards of the standalone industry shall be applicable to the said unit.
8. (a) In case of violations or non-compliances, the Board or Committee shall take suitable actions such as, issuing show cause notices/closure directions, etc., against defaulting units or CETPs.
 (b) In case of the State Board or the Committee issuing any notice to defaulting member unit, the same shall also be communicated to the CETP operating agency.
9. The State Government and its agencies shall ensure availability of Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities for disposal of hazardous wastes generated from CETPs and Primary Effluent Treatment Plants (PETPs).
10. The State Board or the Committee shall ensure association of CETPs and member industries with Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities for disposal of generated hazardous wastes, as per the conditions mentioned in the Authorization, issued by the State Board or the Committee, under Hazardous and other Waste Management (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time.
11. Mixing of appropriate quantity of sewage with effluent at an appropriate stage of treatment in CETP, may be permitted by the Board or Committee, in case it improves treatability in biological treatment process,

provided that design of the CETP has taken into account hydraulic as well as organic load of sewage proposed to be treated in CETP.

2. Roles and responsibilities of CETP operating agencies.—
 1. In order to manage the CETP professionally, there shall be a Special Purpose Vehicle (SPV) or Society (registered under the Societies Registration Act, 1860) or Trust (registered under an appropriate statute), which would be responsible for the entire operation and maintenance of CETP.
 2. (a) The CETP operating agencies shall distribute the total available treatment capacity among the member units in a rational and transparent manner.
(b) A legal agreement between the CETP and its member units clearly delineating their mutual obligations, terms and conditions of membership, membership fee, cost recovery formula developed for the installation and treatment charges, operation and maintenance of CETP, shall be executed.
3. The CETP operating agencies shall comply with the prescribed inlet and outlet effluent standards. In order to strengthen the monitoring and compliance through self-regulatory mechanism, Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) shall be installed at the CETP and data connectivity be provided to the Central Board and concerned Board or Committee.
4. (a) The CETP operating agencies shall develop an automated online mechanism to monitor quantity and quality of effluent (by way of installing SCADA-PLC and auto samplers or sensors,) being discharged by the member units through pipelines or sewers, at individually or in cluster, to ensure compliance.
(b) The connectivity of the monitored data shall be provided to the State Board or the Committee.
(c) CCTV cameras at appropriate locations shall also be installed to check bypass or unauthorised discharges.
5. In case of transportation of effluent through tankers, CETP operating agencies shall,—
 - (a) ensure a tri-partite interface among the CETP, member industries and tankers, through an integrated communication technology (ICT), combined with logistic system with tankers for collection and transportation of effluent to CETPs;
 - (b) ensure that tankers are fitted with GPS system and carry out real-time monitoring of the tankers; and
 - (c) ensure the sampling and quality check of the effluent upon receipt of tanker at CETP.
6. (a) The CETP operating agencies shall have authority to access the member industry premises, without prior notice, to collect wastewater samples.
(b) The OCEMS system, if installed, shall also be accessible to the CETP operating agencies for cross-verification of the monitored values with the online data.
7. (a) The CETP operating agencies shall ensure that the member industries discharge their trade effluent meeting the outlet norms of their individual PETPs. In case of non-compliance of the norms and/or non-payment of their share, within specific or agreed time limits, towards meeting operation and maintenance costs, the CETP operating agencies shall take appropriate action, such as, refusal to take effluent of defaulting member, cancellation of membership of the individual unit with CETP.
(b) The CETP operating agency shall develop the control mechanism to regulate the flow from a member industry.
(c) The list of such non-complying member industrial units and action taken against them shall be provided to the Board or Committee, through online mode, for further necessary action.
8. (a) The CETP operating agencies shall ensure sludge management based on the sludge characteristics (i.e. hazardous or non-hazardous) as per the conditions mentioned in the authorisation.
(b) Adequate linkage with Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) for disposal of hazardous waste, generated from the facility, shall be ensured.
9. (a) The CETP operating agencies, shall also monitor the upstream and downstream conveyance linkages for the physical and hydraulic status.
(b) In case of any inadequacy, the same shall be addressed and reported to the State agencies.
10. The CETP operating agencies shall establish the laboratory facilities on site, at least, for the core parameters, namely, pH, BOD, COD, TSS and any other parameter required by the State Board or the Committee.
11. Alternate power backup arrangement of adequate capacity shall be installed at CETP to ensure continuous operation of CETP even during power failure.

12. The CETP operating agencies shall be responsible for carrying regular surface and ground water quality monitoring of the receiving water and ground water along its reaches, covering all the parameters prescribed in the stream standards at least once a year. Such analysis report shall form part of environmental audit being conducted annually.
3. Roles and responsibilities of Member Industries of a CETP.—
 1. Member industries shall discharge the trade effluent meeting the outlet norms of their individual PETPs, as mentioned in the consents issued by the State Board or the Committee.
 2. (a) Member industries shall monitor specified quality parameters and flow rate of the effluent and submit the monitoring data to the CETP operator through real-time online basis.
(b) The quality and quantity of the pre-treated effluent discharged to CETP shall not exceed the limits as mentioned by the State Board or the Committee.
 3. Member industry shall have a single discharge point to the conveyance system leading to CETP.
 4. Member industries shall pay their share, timely through online mode, to CETP operating agency towards meeting operation and maintenance costs.
 5. The member industries shall ensure proper maintenance by keeping check on leaking valves, cracks and fissures in pipes, faulty equipment, so as to avoid wastage of raw materials or resources and pollution.
 6. Member industries shall make adequate arrangement for segregation, storage and disposal of the hazardous waste being generated from different unit operations and the primary treatment, as per the conditions mentioned in the authorisation”.

[F. No. Q-15017/18/2014-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note.—The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended, *vide* G.S.R. 75(E), dated the 30th January, 2024.